

राजस्व अपील संख्या 470/2022

अनवान

धन्नाराम बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट

दिनांक 14-09-2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट के द्वारा प्रकरण क्रमांक/प्र0ग0सं0/2021/330 दिनांक 03.12.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से अपीलांत अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.12.2021 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांत अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। जिसके आधार पर अपीलांत की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लोहावट के द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 03.12.2021 के क्रम में प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर तहसीलदार लोहावट को निर्देशित किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मौका जाँच करे और मौका रिपोर्ट तैयार करे तथा पक्षकारान की विधिवत सुनवाई करते हुए प्रकरण का निस्तारण करें। मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते को बन्द नहीं किया जावे। उक्त निर्देशो के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

14/09/2022

उपस्थिति में
की विधिवत
कदीमी रास्ते
का निस्तारण
निर्णय आज